

**बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक— 20 -02 - 19

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सिवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल, दोन के जर्जर अद्वनिर्मित भवन को जीर्णोद्धार करते हुए नये भवन चाहरदीवारी सहित निर्माण हेतु कुल रुपये 6,44,95,000/- (छ: करोड़ चौवालिस लाख पन्चानवे हजार रुपये) व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचनानि निगम, पटना के पत्रांक—904, दिनांक—31.05.2018 के जाँचोपरान्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रखंड कार्यालय से लगभग आठ किलोमीटर की दूरी पर आवश्यक भूमि (2 एकड़े) की उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए सिवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखंड के दोन स्थित रेफरल अस्पताल के जर्जर अद्वनिर्मित भवन का जीर्णोद्धार करते हुए नये भवन का निर्माण किया जाना है।

उक्त के आलोक में समाहर्ता, सिवान के कार्यालय पत्रांक—104 मु०, दिनांक—22.06.2018 के द्वारा प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में मात्र 5 करड़ा 13 धूर जमीन उपलब्ध करायी गयी है जो प्रावधानिक मानक से काफी कम है। अतएव विभागीय स्थायी वित्त समिति के बैठक में दरौली प्रखंड के दोन ग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समतुल्य प्रस्तावित तीस बेड़ के रेफरल अस्पताल, दोन के अद्वनिर्मित भवन के जीर्णोद्धार एवं नये भवन निर्माण से संबंधित महाप्रबंधक रेफरल अस्पताल के जर्जर अद्वनिर्मित भवन का जीर्णोद्धार करते हुए नये भवन का निर्माण (परि० एवं निर०), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक—1834, (परि० एवं निर०), दिनांक—24.07.2018 के द्वारा कुल रुपये 6,44,95,000/- (छ: करोड़ चौवालिस लाख पन्चानवे हजार रुपये) का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर सरकार की अनुमति प्राप्त करने के शर्त पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।


उक्त के संदर्भ में राज्य सरकार के सहमति के उपरान्त दरौली प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में इसे उत्क्रमित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समतुल्य नये भवन का निर्माण प्रखंड कार्यालय से आठ किलोमीटर दूर दोन ग्राम में अवस्थित अद्वनिर्मित भवन के जीर्णोद्धार करते हुए नये भवन का निर्माण एवं परिसर विकास हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन 6,44,95,000/- (छ: करोड़ चौवालिस लाख पन्चानवे हजार रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(2) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा:-

- (i) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इसके भवन निर्माण हेतु आवश्यक 2 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
- (ii) निगम द्वारा निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी का चयन में सुस्पष्ट प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे।
- (iii) कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

- (iv) निगम द्वारा यह कार्य बिहार वित्त नियमावली 2005, पी०डब्ल्य०डी० कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों तथा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।
- (v) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार समय-समय पर की जायेगी।
- (vi) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। कार्य निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ संपन्न सम्पन्न कराने की पूर्ण जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना की होगी।
- (vii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।
- (viii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।
- (3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-२० के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष-४२१०-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-०२-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-१०३-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष-०१०१-रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड-२०-४२१००२१०३०१०१, विषय शीर्ष-(५३ ०१) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या-४६ में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी०एल० खाता संख्या-२४४ एवं विपत्र कोड-K8448001110002 में सुलभ करायेंगे।
- (5) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतदसंबंधी डी०सी० विपत्र छः माह के अन्दर विभाग से अग्रसारित कराते हुए महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे।
- (6) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-२५६१ वि०(२), दिनांक-१७.०४.९८, ८५४३ वि०(२), दिनांक-२७.११.२००७ एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
- (7) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।
- (8) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- (9) प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है।
- (10) प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
- (11) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-१०/रेफ०-०६-०१/२०१८ के पृष्ठ-१३/टिं० में प्राप्त है।
- (12) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटनादेश झल्ग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(राकेश्याम साह)  
सरकार के विशेष सचिव।  
राकेश्याम साह

ज्ञापांकः— 1136 (१०)

/स्वा०, पटना, दिनांकः— २० - ०२ - १९

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, सिवान/सिविल सर्जन, सिवान/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरौली (सिवान)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी—१०/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

*नेटवर्क*